राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर 302005)

क्रमांक – एफ 1(5)(   )जांच / सान्याअवि / 22 / 8076 जयपुर, दिनांक – 25.05.2022

आदेश

जैसलमेर जिले के ब्लॉक जैसलमेर, सम व साकडा मे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि मे विभागीय स्तर पर आंतरिक जांच करवायी गयी। विभागीय विशेष जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि 671 आवेदन पत्रों मे नमूना जांच मे 288 लाभार्थियो को राशि 124.68 लाख एवं 351 आवेदन पत्रों में से 28 आवेदन पत्रो की नमूना जांच करने पर 12 लाभार्थियों को राशि 06.30 लाख मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत दस्तावेजों मे कूटनीति / जालसाजी / कांट–छांट करके एपीएल को बीपीएल बनाया जाकर अलग–अलग समुदाय, श्रेणी एवं अलग–अलग स्थानों के रहने वाले लाभार्थियों को कुल राशि 130.98 लाख का अनियमित भुगतान कर गबन किया जाना पाया गया है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में भविष्य मे इस प्रकार की पुनरावर्ती नही हो तथा लाभान्वितों को पारदर्शी रूप से सही भुगतान हो, को सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

1. अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय), मुख्यालय।
2. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), मुख्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), मुख्यालय।
4. उप निदेशक (आई.टी), मुख्यालय।

उक्त समिति 03 कार्य दिवस में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए अपने सुझाव एवं आवश्यक ठोस उपाय अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:–एफ.1(5)(   )जांच / सान्याअवि / 22 / 8077–86 जयपुर, दिनांक 25.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महो., सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत. एवं प्रशा.) मुख्यावास।
5. अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय) मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
7. अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) मुख्यावास।
8. उप निदेशक (आई.टी) मुख्यावास।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास..........................
10. आदेश पत्रावली।

(उम्मेद सिंह)
अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

Z:\Enqu- Section\2022 LETTER 2022.docx